भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1712

29 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

आरडीआई योजना के अंतर्गत कम ब्याज वाले, दीर्घकालिक ऋण/वित्तीय अनुदान

†1712. श्री यदुवीर वाडियारः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में शुरू की गई अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना के तहत कम ब्याज वाले दीर्घकालिक ऋण या वित्तीय अनुदान के रूप में वास्तव में संवितरित कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) डीप-टेक और बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट मूल्यांकन तंत्र और जोखिम-मूल्यांकन ढांचे का, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च-जोखिम, उच्च-प्रतिफल वाले नवाचारों को पारंपरिक जोखिम-विमुख वाणिज्यिक ऋण प्रदान करने संबंधी मानदंडों द्वारा छांट कर बाहर न कर दिया जाए, ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिपक्व महानगरीय स्टार्टअप गलियारों में पूंजी समेकन की अनुमति देने के स्थान पर, इन वाणिज्यिक नवाचार निधि को टियर-2 और टियर-3 क्षेत्रीय उद्यमिता केंद्रों में समरूप वितरण करने के लिए स्थापित विशिष्ट कार्यान्वयन रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2025 को अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए छह वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 3 नवंबर 2025 को इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया था।

योजना के शुभारंभ के बाद से, दो केंद्रित अनुसंधान संगठनों (एफआरओ), अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) में से प्रत्येक को 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जो कुल मिलाकर 2,000 करोड़ रुपये है। इसमें से पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं को आगे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2026 में टीडीबी को 500 करोड़ रुपये की राशि वितरित किए जा चुके हैं।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने अब तक 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल परियोजना लागत 4,744 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं के लिए आरडीआई कोष से 2,192 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। वहीं, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) ने आरडीआई के अंतर्गत सहायता के लिए 390.35 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 8 परियोजनाओं का चयन किया है।

आरडीआई योजना वित्तीय अनुदान उपलब्ध नहीं कराती है। स्वीकृत योजना रूपरेखा के अनुसार, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मुख्य रूप से दीर्घकालिक, कम ब्याज वाले ऋण, इक्विटी और इक्विटी-सम्बद्ध वित्तीय साधनों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

(ख) अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना ने एक विशेष मूल्यांकन और जोखिम-मूल्यांकन ढांचे को अपनाया है जो पारंपरिक वाणिज्यिक ऋण देने की प्रथाओं से अलग है। योजनाओं के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, एक अधिकार प्राप्त निवेश समिति, जिसमें वरिष्ठ क्षेत्र विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकीविद और निवेश पेशेवर शामिल होते हैं, द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन किया जाता है।

इस मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी नवाचार का स्तर, प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल), वाणिज्यीकरण की संभावना, बाजार के अवसर, प्रबंधन टीम की क्षमता, परियोजना कार्यान्वयन योजना और अपेक्षित रणनीतिक प्रभाव जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। इसमें केवल पारंपरिक ऋण मानदंडों, जैसे कि संपार्श्विक (Collateral) या जोखिम से बचने वाली वाणिज्यिक ऋण देने की प्रक्रियाओं पर निर्भर नहीं किया जाता है। यह योजना विशेष रूप से उच्च-जोखिम, उच्च-प्रभाव और परिवर्तनकारी नवाचारों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इसलिए, इसका ध्यान ऐसी प्रौद्योगिकियों पर है जिनमें महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय प्रगति और व्यावसायीकरण की क्षमता हो, न कि केवल नियमित अनुसंधान एवं विकास या छोटे-मोटे सुधारों पर।

(ग) अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना विशिष्ट राज्यों, शहरों या क्षेत्रों के लिए धनराशि का आबंटन नहीं करती है। यह एक अखिल भारतीय पहल है जिसे पारदर्शी, योग्यता-आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित संस्थाओं सहित देश भर की पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं को वित्तपोषण तक समान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों से भागीदारी आमंत्रित की गई है और यह स्थापित महानगरीय स्टार्टअप केंद्रों तक ही सीमित नहीं है। यह योजना कई द्वितीय-स्तरीय कोष प्रबंधकों (एसएलएफएम) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिसके अंतर्गत पात्र प्रस्तावों का मूल्यांकन बिना किसी क्षेत्रीय प्राथमिकता के, कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य देश भर में योग्य प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों के लिए वित्तपोषण तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है।
